



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222535
CG-DL-E-17102020-222535

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3237]
No. 3237]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3651(अ)—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4596(अ) तारीख 19 दिसंबर 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेलंगाना राज्य में पेद्दापल्ली जिल्ला के आई.पी.एस-3 (गुमनूर गांव) से आर.एफ.सी.एल (रामागुंडम) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रान्सको लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 31 दिसंबर 2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देनी है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन कि तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 कि धारा 10 के अध्वधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जी.एस.पी.एल इंडिया ट्रानस्को लिमिटेड (जी.आई.टी.एल) पूर्णतया उत्तदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विसृद् कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : पेद्दापल्ली		राज्य : तेलंगाना			
तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	7	8	9
मंतनी	गुमनूर	79	0	31	32
		92	0	12	00
		77	0	00	18
		414	0	02	40
		413	0	00	32
		366	0	02	42
		365	0	09	21
		363	0	03	83
		362	0	04	95
मंतनी	लक्कापुर	79/1	0	04	04
		154	0	03	07
		147	0	01	20
		112	0	08	76
		131	0	10	14
		208	0	08	36
		211	0	21	71
		298	0	04	40
मंतनी	पुट्टपाका	230	0	09	91
		233/3	0	16	42
		234/3	0	16	29
		246	0	83	79
रामगिरी	आदिवारंपेट	152	0	00	23
		153/1	0	01	14
		159/2	0	00	80
		156/1	0	01	28

		149	0	03	67
		142/1	0	31	70
		142/2	0	14	40
		132	0	07	38
		124	0	10	81
		123	0	04	77
		117	0	02	27
		107	0	01	35
		106	0	03	79
		102	0	08	33
		101	0	03	72
		35	0	04	04
		32	0	00	61
		209	0	07	90
		210	0	02	84
रामगिरी	बेगमपेट	270	0	02	91
		232	0	01	65
		233	0	02	31
		234	0	05	70
		235	0	01	89
		164	0	03	36
		163	0	00	01
		99	0	04	65
		103	0	03	74
		94	0	04	04
रामगिरी	मेडिपल्ली	62	0	14	60
		59	0	10	57
		57	0	06	02
		91	0	10	43
		2	0	00	73
रामगिरी	काल्व चरला	383	0	10	40
		372	0	04	88
		351	0	06	86
		353	0	01	68
		357	0	07	60
		356	0	01	51
		379	0	08	39

		458	0	01	44
		459	0	06	04
		456	0	04	25
रामगिरी	लंका केसारम	74	0	03	67
		71	0	15	83
		70	0	03	70
		78	0	31	85
		82	0	04	23
रामगिरी	राजापुर	47	0	04	57
		42	0	02	20
		51	0	05	14
		38	0	05	15
		21	0	12	93
		5	0	04	31
कमानपुर	गुंडारम	58/2	0	07	44
		60	0	00	41
		57/1	0	07	36
		47/1	0	02	24
		50	0	13	51
		217	0	09	82
कमानपुर	पेरापल्ली	183	0	10	26
		181	0	06	21
		174	0	12	00
		171	0	03	82
		109	0	14	10
		119	0	05	09
कमानपुर	रोंपिकुंटा	56	0	23	53
		48	0	33	32
		30	0	04	78
		31	0	00	67
		28	0	05	98
		26	0	03	07
कमानपुर	लिंगाल	118	0	00	67
		114/2	0	07	04
		115/2	0	00	57

		105/1	0	03	97
		104	0	00	48
		101/2	0	08	73
		99	0	15	19
		81	0	28	10
		70	0	16	78
कमानपुर	पेंचीकलपेट	6	0	02	08
		14	0	08	22
		22	0	23	78
		28	0	33	42
		33/1	0	01	30
		33/2	0	04	09
		35	0	07	61
		55	0	00	71
		58	0	01	34
		73	0	06	44
रामागुंडम	मरेडुपाक	269	0	35	30

[फा.सं.एल-14014/113/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2020.

S.O. 3651(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.4596(E) dated the 19th Dec, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 23rd Dec, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Telangana for transportation of Natural Gas from IPS-3 (Gumnoor Village) to RFCL (Ramagundam) in Peddapalli District, Telangana GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 31-12-2019.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA TRANSCO LIMITED (GITL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Peddapalli			State : Telangana		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Manthani	Gumnoor	79	0	31	32
		92	0	12	00
		77	0	00	18
		414	0	02	40
		413	0	00	32
		366	0	02	42
		365	0	09	21
		363	0	03	83
		362	0	04	95
Manthani	Lakkapur	79/1	0	04	04
		154	0	03	07
		147	0	01	20
		112	0	08	76
		131	0	10	14
		208	0	08	36
		211	0	21	71
		298	0	04	40
Manthani	Puttapaka	230	0	09	91
		233/3	0	16	42
		234/3	0	16	29
		246	0	83	79
Ramagiri	Adivarampet	152	0	00	23
		153/1	0	01	14
		159/2	0	00	80
		156/1	0	01	28
		149	0	03	67
		142/1	0	31	70
		142/2	0	14	40
		132	0	07	38
		124	0	10	81
		123	0	04	77
		117	0	02	27
		107	0	01	35
		106	0	03	79
		102	0	08	33
		101	0	03	72
		35	0	04	04
		32	0	00	61
		209	0	07	90
		210	0	02	84
Ramagiri	Begumpet	270	0	02	91
		232	0	01	65
		233	0	02	31

		234	0	05	70
		235	0	01	89
		164	0	03	36
		163	0	00	01
		99	0	04	65
		103	0	03	74
		94	0	04	04
Ramagiri	Medipalli	62	0	14	60
		59	0	10	57
		57	0	06	02
		91	0	10	43
		2	0	00	73
Ramagiri	Kalvacherla	383	0	10	40
		372	0	04	88
		351	0	06	86
		353	0	01	68
		357	0	07	60
		356	0	01	51
		379	0	08	39
		458	0	01	44
		459	0	06	04
		456	0	04	25
Ramagiri	Lanka Kesaram	74	0	03	67
		71	0	15	83
		70	0	03	70
		78	0	31	85
		82	0	04	23
Kamanpur	Rajapur	47	0	04	57
		42	0	02	20
		51	0	05	14
		38	0	05	15
		21	0	12	93
		5	0	04	31
Kamanpur	Gundaram	58/2	0	07	44
		60	0	00	41
		57/1	0	07	36
		47/1	0	02	24
		50	0	13	51
		217	0	09	82
Kamanpur	Perapalli	183	0	10	26
		181	0	06	21
		174	0	12	00
		171	0	03	82
		109	0	14	10
		119	0	05	09
Kamanpur	Rompikunta	56	0	23	53
		48	0	33	32
		30	0	04	78
		31	0	00	67
		28	0	05	98
		26	0	03	07
Kamanpur	Lingala	118	0	00	67
		114/2	0	07	04

		115/2	0	00	57
		105/1	0	03	97
		104	0	00	48
		101/2	0	08	73
		99	0	15	19
		81	0	28	10
		70	0	16	78
Kamanpur	Penchikalpeta	6	0	02	08
		14	0	08	22
		22	0	23	78
		28	0	33	42
		33/1	0	01	30
		33/2	0	04	09
		35	0	07	61
		55	0	00	71
		58	0	01	34
		73	0	06	44
Ramagundam	Maredupaka	269	0	35	30

[F.No. L-14014/113/2019-GP-II]
RAJ KISHORE, Under Secy.